

F.No. CSU-LKO/Admn/06/2024-25/Med.Rem./
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर
Central Sanskrit University, Lucknow Campus

सं.-

दिनांक-14.09.2026

अधिसूचना/Notification - १५

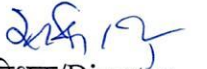
विश्वविद्यालय के चिकित्सा देयक प्रतिपूर्ति अध्यादेश में वर्णित मानक के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान सम्भव है। **Dr. D.S. Yadav**, B.M.S.M.D (Homeo.) द्वारा हस्ताक्षरित बिलों की जाँच की गयी है, बिल संदिग्धपूर्ण हैं। इसे देखते हुए अग्रिम आदेश पर्यन्त के लिए **Dr. D.S. Yadav**, B.M.S.M.D (Homeo.) द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

पूर्व में प्रदत्त बिलों की जाँच के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की गयी है।


(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि:-

1. Dr. D.S. Yadav, B.M.S.M.D (Homeo), 50-Ka, Fattepur, Sec. B. Indira Park, Aliganj Lucknow -24 को सूचनार्थ
2. उप-निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. सभी प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को सूचनार्थ
4. सभी सेवानिवृत्त प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को सूचनार्थ
5. समिति सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. अधिसूचना सञ्चिका
7. सम्बद्ध सञ्चिका
8. श्री मुकुल कुमार मिश्र, तकनीकी सहायक, वेबसाइट पर अपलोड हेतु
9. निदेशक कार्यालय प्रति


निदेशक/Director